न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 113/2025

दायर दिनांक 05.03.2025

निर्णय दिनांक 02-05-2025

1. देबी लाल पुत्र श्री मांगू खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्री लादू लाल खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. देवकरण पुत्र लादू लाल खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
3. उदी पुत्री श्री कल्याण खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
4. देऊ पुत्री कल्याण खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. मदन पुत्र श्री कल्याण खाती निवासी– बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाडा
6. सोहन पुत्र श्री कल्याण खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाडा
7. रूकमा पत्नी श्री कल्याण खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
8. मोहन पुत्र श्री कल्याण खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
9. घीसा पुत्र श्री रामसुख खाती निवासी बड़ा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
10. जगदीश पुत्र श्री बद्री लाल खाती निवासी बढ़ा महुला तहसील एव जिला भीलवाड़ा
11. श्याम लाल पुत्र श्री बद्री लाल खाती निवासी बढ़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
12. देबी लाल पुत्र श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
13. बद्री लाल पुत्र श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
14. भैरू लाल पुत्र श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
15. रूकमा देवी पत्नी श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
16. राधा पुत्री श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
17. समता पुत्री श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
18. सीता पुत्री श्री बालू जाट निवासी बड़ा महुआ तहसील एव जिला भीलवाड़ा
19. मान कवंर पुत्री श्री भंवरलाल खारीवाल, निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
20. डालचन्द पुत्र श्री भवंरलाल खारीवाल, निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
21. सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण ब्राहम्ण, निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
22. सांवरा पुत्र रामेश्वर जाट निवासी महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 22 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महुआ कलॉ पटवार हल्का महुआ कलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआ कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज) मे आराजी नम्बर 1638/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1639 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1640/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1646 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1656 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2809/1646 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.0495 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 22 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेंतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम महुआ कलॉ पटवार हल्का महुआ कलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआ कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज) मे आराजी नम्बर 1638/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1639 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1640/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1646 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1656 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2809/1646 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.0495 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा